



## हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

वीरवार, 19 मार्च, 2026/28, फाल्गुन, 1947 (शक्)

-----

[मुख्य मंत्री - उप-मुख्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - कृषि मंत्री - उद्योग मंत्री - राजस्व मंत्री - शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - लोक निर्माण मंत्री - नगर एवं ग्राम योजना मंत्री - आयुष मंत्री ].

कुल प्रश्न 2

-----

### आउटसोर्स कर्मचारी

\*3698 श्री दीप राज (करसोग) :

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है तथा माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला; ब्यौरा दें;

(ख) सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को न हटाने हेतु वित्त विभाग के आदेश संख्या 2022-2025 जारी किए हैं; यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव रहा तथा कितने कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हुई;

(ग) आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (₹ 750), ई0एस0आई0, यात्रा भत्ता सुविधाओं के क्या प्रावधान हैं तथा ये सुविधाएं किन-किन विभागों में लागू की गई हैं; ब्यौरा दें; और

(घ) करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं हेतु शिक्षा, जल शक्ति व बिजली

विभाग में कितने पद स्वीकृत हुए तथा जलवाहक/पैरा-फिल्टर जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों का ब्यौरा दें?

-----

### आवास आबंटन

\*3733 श्री केवल सिंह पठानिया (शाहपुर):

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत तीन वर्षों में प्रदेश में आवास आबंटन समिति की कुल कितनी बैठकें हुईं तथा कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मैरिट के आधार पर आवास आबंटित किए गए; नाम सहित विभागवार ब्यौरा दें;

(ख) जिन विभागों/बोर्डों/ निगमों के पास अपने आवासीय पूल हैं तथा वे टूटने के कगार पर हैं; क्या सरकार उन्हें सामान्य पूल में सम्मिलित करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें;

(ग) ऐसे कितने अधिकारी तथा कर्मचारी हैं जिन्होंने प्रदेश में दो अथवा दो से अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आबंटित करवाए हैं; नाम व पदनाम सहित ब्यौरा दें; और

(घ) ऐसे कितने सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति उपरान्त अन्य पदों पर पुनर्नियुक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु उनके द्वारा पूर्व में उनकी पात्रता अनुसार आबंटित आवास को खाली नहीं किया गया है; नाम सहित ब्यौरा दें?

-----

शिमला: 171004.

12 मार्च, 2026 .

यशपाल शर्मा,

सचिव